कम्प्यूटर परिपत्र सं0 1516077 दिनांक 18-03-2016

पत्र सं0-वैट-विधि-4(2) / पत्रा0सं0-7 भाग -1 / (2015-16) / 2879 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च , 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा प्रदेश में बिल्डर्स के सम्बन्ध में देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा- 6 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2012-13 एवम् आगे के सभी वर्षो के लिये पत्र संख्या-390 / ग्यारह-2-2016-9(17) /13 दिनांक 17-032016 द्वारा एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिए समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश / प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र / अनुबन्ध के प्रारुप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं । कृपया आप अपने स्तर से अपने जोन के अधिकारियों, अधिवक्ता संघों तथा व्यापार कर संघों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें ।

3- योजना के निर्गत किये जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर तथा नये प्रोजेक्ट्स अग्रेत्तर आरम्भ किये जाने की दशा में प्रोस्पेक्टिव क्रेता से प्रथम अनुबन्ध की तिथि के 30 दिन के भीतर उक्त समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा समाधान प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और यह योजना उक्त प्रोजेक्ट से सम्बंधित सभी अनुबन्धों पर लागू होगी ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Sd/- 18/3/2016
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0व0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त सचिव , संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग -2 उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन को पत्र संख्या-390/ग्यारह-2-2016-9(17)/13 दिनांक 17-03-2016 के संदर्भ में ।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय ।

संख्या– 390 /ग्यारह–2–2016–9(17)/13

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर, वाणिज्यकर ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉकः 17 मार्च, 2016

विषयः प्रदेश में बिल्डर्स हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2012–13 एवं आगे के सभी वर्षों के लिये देयकर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिये समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

P copy.

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा प्रदेश में बिल्डर्स हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2012–13 एवं आगे के सभी वर्षों के लिये देयकर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिये समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा।

2– अतः अनुरोध है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार व प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

17/3/16
(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या–390 /ग्यारह–2–2016–9(17)/13 दिनांक 17 मार्च, 2016 का संलग्नक।

विषय : प्रदेश में बिल्डर्स हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2012–13 एवं आगे के सभी वर्षों के लिये देयकर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिये समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में शासन के निर्देश ।

प्रदेश में बिल्डर्स के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2012–13 एवं आगे के सभी वर्षों के लिये समाधान योजना कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है :–

(i) इस योजना के अन्तर्गत किसी अनुबन्ध में उल्लिखित सकल धनराशि अथवा ऐसे अनुबन्ध के संबंध में इण्डियन स्टैम्प एक्ट, 1899 के अधीन देय स्टाम्प ड्यूटी हेतु अवधारित मूल्य, जो भी अधिक हो,-

(क) का 1%, प्रदेश के अन्दर से माल की खरीद करते हुए प्रदेश में निर्माण किए जा रहे भवन/फ्लैट्स में इनका अन्तरण किए जाने की दशा में, समाधान राशि होगी ।

(ख) का 3% , प्रदेश के अन्दर से माल की खरीद करते हुए व प्रदेश के बाहर से प्रदेश में माल का आयात करते हुए प्रदेश में निर्माण किए जा रहे भवन/फ्लैट्स में इनका अन्तरण किए जाने की दशा में, समाधान राशि होगी।

(ii) योजना के निर्गत किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर तथा नए प्रोजैक्ट्स अग्रेतर आरम्भ किए जाने की दशा में प्रोस्पेक्टिव केता से प्रथम अनुबन्ध की तिथि के 30 दिन के भीतर उक्त समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और यह योजना उक्त प्रोजेक्ट से सम्बन्धित सभी अनुबन्धों पर लागू होगी।

(iii) यदि उक्त नियत समय सीमा के अन्दर व्यापारी द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्यापारी द्वारा ₹ 10,000/–विलम्ब शुल्क के साथ उक्त नियत समय सीमा समाप्त होने के अगले 60 दिन के अन्दर समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर यह समाधान योजना स्वीकार की जा सकती है।

(iv) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी को इस योजना के प्रभावी होने के बाद के समस्त प्रोजेक्ट्स के लिये भी समाधान योजना स्वीकार करना अनिवार्य होगा और ऐसे व्यापारी को यह छूट नहीं होगी कि वह कुछ प्रोजेक्ट्स के लिये समाधान योजना स्वीकार करे और कुछ प्रोजेक्ट के लिये समाधान योजना स्वीकार न करे।

(v) इस योजना को अपनाने वाले बिल्डर को प्रान्त बाहर से माल का क्रय फार्म-सी के विरुद्ध करते हुए तथा फार्म-एफ के विरुद्ध स्टाक ट्रांसफर के रूप में प्रान्त बाहर से प्राप्त माल का उपयोग भवन/फ्लैट्स के निर्माण में करने की सुविधा अनुमन्य होगी परन्तु ऐसे बिल्डर के लिए प्रान्त बाहर से माल का आयात करते हुए उसका उपयोग भवन/फ्लैट्स के निर्माण में करने से संबंधित समाधान राशि का विकल्प अपनाना अनिवार्य होगा।

(vi) व्यापारी को एक बार यह समाधान योजना स्वीकार किये जाने के पश्चात् भविष्य में इसे वापस लेने की छूट नहीं होगी, सिवाय उस दशा में, जबकि समाधान राशि में बाद में बढ़ोत्तरी कर दी गयी हो।

(vii) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में निष्पादित होने वाले अन्य प्रोजेक्ट्स के लिये अलग से समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(viii) समाधान योजना स्वीकार करने वाले जिन व्यापारियों द्वारा एक से अधिक जनपदों में बिल्डिंग प्रोजेक्ट के निष्पादन का कार्य किया जाता है, उनका मुख्य व्यापार स्थल जिस कर निर्धारक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है, समाधान प्रार्थना पत्र वहीं प्रस्तुत किया जायेगा। इसकी सूचना उन सभी कर निर्धारक अधिकारियों को भी देंगे, जिनके अधिक्षेत्र में बिल्डिंग प्रोजेक्ट का निष्पादन किया जा रहा है।

(ix) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के अधीन प्राविधानित कर विवरणी एवं समाधान राशि जमा होने का प्रमाण जमा करना होगा। समाधान राशि विलम्ब से जमा किये जाने की स्थिति में नियमानुसार ब्याज की देयता होगी।

(x) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के अधीन प्राविधानित समेकित विवरण का अनुलग्नक फार्म–बावन प्रस्तुत करना होगा। यह व्यापारी का दायित्व होगा कि जिस वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित समेकित विवरण का अनुलग्नक फार्म–बावन प्रस्तुत किया गया है, उस वित्तीय वर्ष में निष्पादित समस्त प्रोजेक्ट्स एवं समस्त अनुबन्धों का विस्तृत विवरण समेकित विवरण का अनुलग्नक फार्म–बावन में घोषित कर दिया गया है।

(xi) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी को किसी खरीद पर, यदि कोई हो, इनपुट टैक्स केडिट का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(xii) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा समाधान योजना की अवधि में न तो कोई कर वसूल किया जायेगा और न ही कोई टैक्स इन्वाईस जारी किया जायेगा।

(xiii) समाधान योजना के कियान्वयन के सन्दर्भ में कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर यथोचित निर्देश जारी किये जायेंगे।

(xiv) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी पर ऐसे माल की बिक्री पर देयकर जमा करने का दायित्व होगा, जिसका उपयोग भवन प्रोजेक्ट के निष्पादन में नहीं हो सका हो।

(xv) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा किसी कर अवधि में प्रास्पेक्टिव केताओं से प्राप्त धनराशि पर उपर्युक्त प्रस्तर–(i) के अनुसार आंकलित धनराशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा धनराशि का समायोजन इस योजना के अन्तर्गत देय समाधान राशि में किया जा सकेगा।

(xvi) यदि व्यापारी द्वारा विभिन्न कर अवधि में जमा की गयी धनराशि देय समाधान राशि से कम स्पष्ट होती है तो ऐसी कम जमा धनराशि समाधान योजना का अनुबन्ध निष्पादित होने की तिथि को जमा करनी होगी तथा यदि विभिन्न कर अवधि में जमा की गयी धनराशि देय समाधान राशि से अधिक स्पष्ट होती है तो देय समाधान राशि से अधिक जमा की गयी ऐसी धनराशि व्यापारी को नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

(xvii) यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यापारी द्वारा उक्त समाधान योजना स्वीकार करते समय कोई सूचना छुपायी गयी है अथवा मिथ्या घोषणा की गयी है तो ऐसे समाधान प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का अधिकार कर निर्धारक अधिकारी को होगा और अधिनियम के अधीन नियमानुसार अर्थदण्ड एवं कर निर्धारण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(xviii) समाधान राशि, देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 33 में भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी।

(xix) अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी समाधान राशि के सम्बन्ध में कर निर्धारक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 56 के अन्तर्गत पुनरीक्षणीय होगा।

(xx) प्रार्थना–पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी जांच के समय व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जांच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थना–पत्र तथा शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा। साथ ही यदि कर निर्धारक अधिकारी द्वारा ऐसा उचित समझा जाय तो प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(xxi) समाधान योजना लागू होने के पूर्व यदि किसी व्यापारी के सुसंगत वर्ष के वाद में अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है, तो उसे उस वर्ष के लिए समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा परन्तु वर्ष 2012–13 के जिन मामलों में अन्तिम कर निर्धारण की कार्यवाही अभी लम्बित है, उनमें समाधान योजना अपनाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

(xxii) समाधान योजना से सम्बन्धित समाधान प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

17/3/16

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 6 के अन्तर्गत आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री पर देय कर के विकल्प में समाधान प्रार्थनापत्र ।

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी
खण्ड / मण्डल .....
जनपद .....
वर्ष .....

महोदय,

मैं, श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय ..... पर स्थित है जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 17 अथवा धारा 18 के अन्तर्गत वाणिज्य कर कार्यालय..... द्वारा टिन..... दिनांक..... से प्रभावी किया गया है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी ..... मण्डल ..... जनपद के कार्यालय में दिनांक..... को पंजीयन प्रार्थनापत्र फार्म VII में प्रस्तुत कर दिया है , का स्वामी / साझेदार / निदेशक / (प्रास्थिति) ..... हूँ । मैं यह प्रार्थनापत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ (जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 32 के उपनियम (6) के अन्तर्गत हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया है) मैंने देय कर के विकल्प में धारा 6(1) में जारी शासनादेश दिनांक..... को मैंने तथा फर्म के हितबद्ध सभी व्यक्तियों ने सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है अथवा सुन लिया है और समझ लिया है । उक्त शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्ते स्वीकार करता / करती हूँ ।

2- मैं वित्तीय वर्ष 20. .. .-20 ... .. में उक्त फर्म द्वारा देय कर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6(1) तथा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गयी उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अधीन संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता / करती हूँ ।

घोषणा

मै घोषणा करता / करती हूँ कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य है । उसमें कोई तथ्य गलत या अपूर्ण नही है और न ही संगत तथ्य छिपाया गया है ।

दिनॉक----------

संलग्नक: शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र ।

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ । यह फर्म ..... के स्वामी / साझेदार / निदेशक (प्रास्थिति) .....हैं तथा इस प्रार्थनापत्र पर उन्होंने मरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं ।

दिनांक :

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर.....
पूरा नाम .....
पूरा पता .....

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम - 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री पर देय कर के विकल्प में समाधार प्रार्थनापत्र में उल्लिखित शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र ।

मैं, श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... आयु .....वर्ष स्थायी निवासी (पूरा पता) .....शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि :-

1- मैं फर्म सर्वश्री ..... जिसका मुख्यालय (पूरा पता) ..... पर स्थित है का स्वामी / साझेदार / निदेश / (प्रास्थिति)..... हूँ तथा यह शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र उपरोक्त फर्म की ओर से वर्ष 20-.....-20..... के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ ।

2- मेरी फर्म के मुख्यालय व शाखाओं का विवरण निम्नवत् है :-

मुख्यालय का पता

शाखाओं का पता

(1)

(2)

(3)

3- आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री से संबंधित विवरण एवं जमा समाधान राशियों का विवरण निम्नवत् है :-

I-

II-

III-

4- उक्त घोषित आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री के अतिरिक्त अन्य कहीं पर कोई भी आवासीय / व्यवासायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री नहीं की जा रही है । यदि उपरोक्त घोषित विवरण के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य / सूचना फर्म के विरुद्ध प्रकाश में आती है तो कर निर्धारण अधिकारी नियमानुसार अर्थदण्ड / अन्य विधिक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होंगे जिसमें मुझे मुझे कोई आपत्ति न होगी ।

5- आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री पर देय कर के विकल्प में समाधान योजना सें संबंधित शासन द्वारा जारी निर्देशों तथा शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है । यदि एकमुश्त समाधान राशि का मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन अथवा कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अथवा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये बाध्य होगी । ऐसे निर्देशों, लगाये गये प्रतिबन्धों तथा निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी मेरी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होंगे ।

संलग्नक : समाधान राशि जमा करने का साक्ष्य ।

शपथी .....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....